



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 6 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 15, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1152/9-1-2020-19सा-13

लखनऊ, 6 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-271

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 एवं नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करती हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्रम-संख्या	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड संख्या/नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्याग पत्र का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	भदोही	नगर पंचायत, घोसिया	10	श्रीमती साजदा (सदस्य)	30-06-2020
2	महराजगंज	नगर पंचायत, घुघली	10	श्रीमती प्रभावती देवी (सदस्य)	08-06-2020
3	कानपुर नगर	नगर निगम, कानपुर	8	श्री संदीप (सदस्य)	14-06-2019
4	कानपुर नगर	नगर पंचायत, शिवराजपुर	2	श्रीमती रामबेटी (सदस्य)	21-09-2019
5	महराजगंज	नगर पंचायत, निचलौल	11	श्रीमती कलावती देवी (सदस्य)	06-08-2020

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।